भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5283
24 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र और उनकी क्षमता

5283 **श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेष इस्पात पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत कंपनियों की संख्या कितनी है तथा उनमें किए गए कुल निवेश और सृजित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात के आयात पर निर्भरता में हुई कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अंतर्गत पंजीकृत केंद्रों की संख्या कितनी है तथा उनकी स्क्रैप प्रोसेसिंग क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्क्रैप के आयात में दर्ज की गई कमी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के पहले चरण (पीएलआई 1.0) में 19 कंपनियों की 44 परियोजनाएं, दूसरे चरण (पीएलआई 1.1) में 25 कंपनियों की 42 परियोजनाएं और तीसरे चरण (पीएलआई 1.2) में 60 कंपनियों की 85 परियोजनाएं भाग ले रही हैं। तीनों चरणों में प्रतिबद्ध निवेश ₹55,993 करोड़ है, जिसमें से अब तक ₹23,827 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। इस योजना के तहत अब तक 2.73 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन हुआ है।

(ख) वर्ष 2025-26 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान, तैयार इस्पात का आयात 5.62 मिलियन टन रहा, जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 37.4% की गिरावट दर्शाता है।

(ग) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय हेतु एक रूपरेखा प्रदान करती है।

(घ) देश में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की क्षमता 43.98 मिलियन टन है।

(ङ) वर्ष 2025-26 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान स्क्रैप आयात 7.047 मिलियन टन रहा, जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 20% की गिरावट दर्ज करता है।

*****